FORM NO. III (प्रारूप संख्या–3)

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत अति० जिला कलक्टर मुकाम नीम का थाना (सीकर)

सरकार बनाम सुरेश कुमार

किस्म मुकदमा FSS नम्बर 09 वर्ष 2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.01.2023	पत्रावली पेश हुई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री प्रभुराम सैनी निवासी धांधेला, पोस्ट राजपुरा जिला सीकर; मैसर्स बालाजी जोधपुर मिष्ठान भण्डार बस स्टैण्ड कोटपुतली रोड़ पाटन, सीकर उपस्थित हुये। अप्रार्थी ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा दिनांक 14.10.2022 को समय 2:30 पी.एम. पर पाटन सीकर में निरीक्षण के लिए पंहुचे। निरक्षण के दौरान विक्रय किये जा रहे मैसर्स बालाजी जोधपुर मिष्ठान भण्डार पर श्री सुरेश पुत्र श्री प्रभुराम सैनी जाति सैनी द्वारा मावा विक्रय हेतु रखा पाया गया। विक्रेता को मैनें अपना परिचय दिया व उनका नाम व पता पूछा तो उसने अपना नाम बताया। सुरेश कुमार से वर्ष 2022 का खाद्य पदार्थ अनुज्ञा पत्र के बारे में पूछा गया तो विक्रेता ने मौके पर खाद्य लाइसेंस वर्ष 2022 होना बताया। निरीक्षण के द्वौरान मैसर्स बालाजी मिष्ठान भण्डार पर मावा का विक्रय किया जा रहा था। फर्म पर एक फ्रिजर में 30 किलोग्राम मावा विक्रय के लिए रखा हुआ था। उपलब्ध स्टोक में से वास्ते नमूना जांच हेतु नमूना लेने के लिए कहा व फार्म नम्बर 5ए की प्रति तैयार कर नमूना लेने कि सूचना दी तथा प्राप्ति रसीद ली। नमूना जांच हेतु 1 किलोग्राम मावा खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता सुरेश कुमार को 250 रु नगद देकर रसीद प्राप्त कि जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है। तथा उपस्थिति गवाहन के हस्ताक्षंर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं ने हस्ताक्षर किये। उक्त नमूना अमानक पाया गया। प्रार्थी व अप्रार्थी को सुना गया एवं पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रयोगशाला नम्बर एफ–3136 खाद्य पदार्थ मावा का नमूना लिया गया राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर की रिपोर्ट के अनुसार इस प्रकरण **अमानक** का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2( ) का उल्लघंन पाया गया। यह कृत्य लोगो के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है साथ ही अप्रार्थी को आर्थिक दण्ड दिया जाना आवश्यक है तांकि भविष्य में ऐसी गलती करने से बाज आये। [signature]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.24 11:05:50 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अतः खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 तथा नियम 2011 की धारा 51 के तहत अप्रार्थी को 20,000 रू के जुर्माने से दण्डित किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि जूर्माना राशि हैड 0210–04–800–03–00 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत राज्यकोष में जरीये चालान जमा करावें एवं जमा राशि कि एक प्रति इस न्यायालय में पेश कि जावे। जूर्माना राशि जमा नहीं कराने पर अप्रार्थी के विरूद्ध खाद्य अधिनियम के तहत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। आदेश आज दिनांक 30.01.2023 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। (अनिल कुमार) अति. जिला कलक्टर, नीमकाथाना सीकर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.24 11:05:50 IST
Reason: SelfAttested